ए.

भारत सरकार और भारत सरकार का सचिव।

वी.

धर्मबीर सिंह

(2012 की सिविल अपील संख्या 4981)

बी.

सितंबर 20,2019

[एल**.** नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता**,** जे**.** जे**.]**

आकस्मिक पेंशन पुरस्कारों के लिए पात्रता नियम, 1982-आर.12, 13, 17 & 19– अक्षमता पेंशन की स्वीकार्यता, जब सशस्त्र बलों के कर्मी छुट्टी पर होते हैं-प्रत्यर्थी 1981 में सेना में शामिल हुए-जबकि उन्हें आईडी3,1999 से आईडी1,1999 तक दो दिन की आकस्मिक छुट्टी दी गई थी, उन्हें एक दुर्घटना स्कूटर की सवारी करने का सामना करना पड़ा और उन्हें सिर में चोट, फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा-उन परिस्थितियों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी आयोजित की गई जिनके तहत उन्हें चोटें आईं-पेंशन योग्य सेवा प्रदान करने के बाद, प्रत्यर्थी को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को देखते हुए आईडी2,1999 पर सेवा से छुट्टी दे दी गई, जिसमें अक्षमता को 30 प्रतिशत माना गया था-मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्वीकृति अक्षमता पेंशन के दावे को खारिज कर दिया गया-सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी को विकलांग पेंशन का हकदार ठहराया-अपील पर कहा:छुट्टी नियमों के संदर्भ में, आकस्मिक छुट्टी और वार्षिक छुट्टी को कर्तव्य के रूप में गिना जाता है-हालांकि, उक्त नियमों के नियम 11 (ए) के संदर्भ में, आकस्मिक छुट्टी पर एक व्यक्ति को वास्तव में ऐसी छुट्टी के दौरान कर्तव्य का पालन करने वाला नहीं माना जाता है-1982 के नियम 'कर्तव्य' अभिव्यक्ति की विस्तृत परिभाषा देते हैं-इसमें वह अवधि शामिल है जब सशस्त्र बल के कर्मी अपने छुट्टी स्टेशन से आगे बढ़ रहे हैं या वहां से ड्यूटी पर लौट रहे हैं-इसमें एक दुर्घटना भी शामिल है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति सख्ती से ड्यूटी पर नहीं होता है बशर्ते इसमें जोखिम शामिल हो जो निश्चित रूप से उसकी प्रकृति, स्थितियों, दायित्वों या घटनाओं से प्रकार या डिग्री में बढ़ाया गया था और यह कि यह भारत में आधुनिक परिस्थितियों में मानव अस्तित्व के लिए

एक सामान्य जोखिम नहीं था-हालांकि, चिकित्सा नियमों के विनियमन 423 के अनुसार, ऐसी चोट का कारण होना चाहिए।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

122

123

भारत सरकार और ओ. आर. एस. v.धर्मबीर सिंह ए

कमांडिंग ऑफिसर द्वारा दिया गया है कि दुर्घटना के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए-चूंकि दुर्घटना तब हुई जब प्रत्यर्थी घरेलू सामान खरीद रहा था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि चोट और सैन्य सेवा के बीच कोई कारण संबंध है-ट्रिब्यूनल का आदेश-सेवाओं के लिए छुट्टी नियम, खंड-I (सेना)-rr।10, 11(क)-चिकित्सा विनियम-विनियम 423 (क), (ख) और (घ)-सेना अधिनियम, 1950-एस.3(i), 9-सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961-विनियम 173-सेना के लिए पेंशन विनियम, 2008-सशस्त्र बल।

बी.

सेवाओं के लिए अवकाश नियम, खंड-I (सेना)-rr।10, 11(क)-आयोजितःजब सशस्त्र बलों के कर्मी आकस्मिक छुट्टी या वार्षिक छुट्टी का लाभ उठा रहे हों, तो उन्हें ड्यूटी पर इलाज किया जाना चाहिए-सशस्त्र बल।

सी.

सेना अधिनियम, 1950 -एस. 3 (आई)-सेना में प्रत्यर्थी, दो दिन की आकस्मिक छुट्टी पर था जब वह स्कूटर चलाते समय दुर्घटना का शिकार हो गया और घायल हो गया-सेवा से छुट्टी-विकलांगता पेंशन के लिए दावा-आयोजितःनिर्धारित करने वाला कारक दुर्घटना और सैन्य कर्तव्यों के बीच कारण संबंध है-चोट या मृत्यु सशस्त्र सेवा का हस्तक्षेप होना चाहिए, चाहे वह कितना भी दूर हो-इसके अलावा, एस के संदर्भ में।3(i) "सक्रिय सेवा" से वह समय अभिप्रेत है जिसके दौरान कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन है, किसी ऐसे बल से जुड़ा हुआ है, या उसका हिस्सा है, जो सैन्य अभियानों में लगे दुश्मन के खिलाफ अभियान में लगा हुआ है, या

मार्च की रेखा पर है, किसी देश या स्थान पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से दुश्मन द्वारा कब्जा कर लिया गया है, या किसी ऐसे बल से जुड़ा हुआ है या उसका हिस्सा है जो किसी विदेशी देश के सैन्य कब्जे में है-वर्तमान मामला उक्त परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है-जब व्यक्ति घरेलू सामान खरीदने के लिए स्कूटर पर जा रहा है, तो ऐसी गतिविधि, यहां तक कि दूर से भी सैन्य सेवा के साथ कोई कारण संबंध नहीं है-चिकित्सा विनियम-विनियमन 423-सशस्त्र बल।सशस्त्र बल-चिकित्सा विनियम-विनियम 423 (बी)-आर के साथ विरोधाभास। 12(च) 1982 के नियम-चर्चा-आकस्मिक पेंशन पुरस्कारों के लिए पात्रता नियम, 1982 - आर. 12 (एफ)।

डी.

ई.

एफ.

जी.

सशस्त्र बल-दुर्घटना के कारण हुई चोट के कारण विकलांगता पेंशन के लिए दावा-चोट लगने वाली परिस्थितियों की जांच के लिए एकत्रित कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी-चिकित्सा बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के दायरे पर चर्चा की गई।

एच.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** सेना के लिए पेंशन विनियम**, 1961** को अब सेना के लिए पेंशन विनियम**, 2008** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।सेना के लिए पेंशन विनियम**, 1961** और सेना के लिए पेंशन विनियम**, 2008** अक्षमता पेंशन की स्वीकार्यता के संबंध में काफी हद तक समान हैं।आकस्मिक पेंशन पुरस्कारों के लिए पात्रता नियम**, 1982** उन सेवा कर्मियों पर लागू होते हैं जो **1** जनवरी**, 1982** को या उसके बाद अप्रभावी हो जाते हैं।**1982** के नियमों से पहले**, 1950** के पात्रता नियम लागू थे जो **1982** के नियमों के समान हैं जहां तक सैन्य सेवा के कारण विकलांग होने पर विचार करने वाले कारकों का संबंध है।चिकित्सा विनियमों का विनियम **423** उन चोटों की भी व्याख्या करता है जो सेवा के कारण होती हैं।**[**पैरा **7-9] [136-**एफ-जी**; 137-**ए-बी**; 139-**बी**]**

बी.

सी.

1.2 सेना अधिनियम**, 1950** की धारा **3 (i)** के संदर्भ में**,** सक्रिय सेवा का अर्थ है वह समय जिसके दौरान एक व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन है**,** एक ऐसे बल से जुड़ा हुआ है**,** या उसका हिस्सा है**,** जो सैन्य अभियानों में लगे दुश्मन के खिलाफ अभियान में लगा हुआ है**,** या किसी देश या स्थान पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से दुश्मन द्वारा कब्जा कर लिया गया है**,** या किसी ऐसे बल से जुड़ा हुआ है या उसका हिस्सा है जो किसी विदेशी देश के सैन्य कब्जे में है।वर्तमान अधिनियम की धारा **3 (i)** की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अधिनियम की धारा **9** केंद्र सरकार को यह घोषणा करने का अधिकार देती है कि अधिनियम के अधीन कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग**,** किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में जिसमें वे सेवा कर रहे हैं या इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में**,** अधिनियम के अर्थ के भीतर सक्रिय सेवा पर माना जाएगा। इस तरह के प्रावधान के अनुसरण में**,** केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि सभी व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन हैं**,** वे जहां भी सेवा कर रहे हों**,** उन्हें अधिनियम और उस समय लागू किसी अन्य कानून के अर्थ के भीतर सक्रिय सेवा में माना जाएगा।इसके अलावा**,** छुट्टी के नियमों के संदर्भ में**,** आकस्मिक छुट्टी और वार्षिक छुट्टी को शुल्क के रूप में गिना जाता है।हालांकि**,** सेवाओं के लिए छुट्टी नियमों**,** खंड**-I (**सेना**)** के नियम **11 (**ए**)** के संदर्भ में**,** आकस्मिक छुट्टी पर एक व्यक्ति को वास्तव में इस तरह की छुट्टी के दौरान कर्तव्य का पालन करने वाला नहीं माना जाता है।**1982** नियमों में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति ड्यूटी पर है जब वह अपने छुट्टी स्टेशन या ए से आगे बढ़ रहा है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

125

भारत सरकार और ओ. आर. एस. v.धर्मबीर सिंह ए

अपने छुट्टी स्टेशन से ड्यूटी पर लौट रहे हैं।इसके अलावा**, 1982** के नियमों के नियम **12** के खंड **(**च**)** के संदर्भ में**,** एक दुर्घटना को सेवा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब कोई व्यक्ति सख्ती से 'कर्तव्य पर' नहीं होता है जैसा कि परिभाषित किया गया है**,** बशर्ते कि इसमें जोखिम शामिल हो जो निश्चित रूप से उसकी सेवा की प्रकृति**,** स्थितियों**,** दायित्वों या घटनाओं से प्रकार या डिग्री में बढ़ाया गया था और यह कि यह भारत में आधुनिक परिस्थितियों में मानव अस्तित्व के लिए सामान्य जोखिम नहीं था।इसलिए**,** यदि कोई व्यक्ति सशस्त्र बलों से संबंधित होने के कारण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मारा जाता है या घायल हो

जाता है, तो उसे 'ड्यूटी पर' माना जाएगा।इस प्रकार, यह माना जाता है कि जब सशस्त्र बलों के कर्मी आकस्मिक छुट्टी या वार्षिक छुट्टी का लाभ उठा रहे हों, तो उन्हें ड्यूटी पर माना जाना चाहिए।**[**पारस **11-14] [140-F-H; 141-A-E]**

बी.

सी.

1.3 1982 के नियम सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा की जा रही अभिव्यक्ति 'कर्तव्य' की विस्तृत परिभाषा देते हैं।इसमें वह अवधि शामिल है जब सशस्त्र बलों के कर्मी अपने लीव स्टेशन से आगे बढ़ रहे हैं या अपने लीव स्टेशन से ड्यूटी पर लौट रहे हैं।इसमें एक दुर्घटना भी शामिल है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति सख्ती से ड्यूटी पर नहीं होता है बशर्ते कि इसमें जोखिम शामिल हो जो निश्चित रूप से उसकी सेवा की प्रकृति, स्थितियों, दायित्वों या घटनाओं से प्रकार या डिग्री में बढ़ाया गया था और यह कि यह भारत में आधुनिक परिस्थितियों में मानव अस्तित्व के लिए सामान्य जोखिम नहीं था।हालाँकि, चिकित्सा विनियमों के विनियम **423** के अनुसार, ऐसी चोट का सैन्य सेवा के साथ कारण संबंध होना चाहिए या ऐसी चोट सैन्य सेवा से बढ़ जाती है।चिकित्सा विनियमों के विनियम **423 (**ए**)** में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यह मायने नहीं रखता कि क्षेत्र सेवा या सक्रिय सेवा क्षेत्र घोषित किए गए क्षेत्र में या सामान्य शांति स्थितियों में हुई विकलांगता या मृत्यु का कारण कर्तव्य माना जाएगा।विनियम **423 (**ए**)** आदेश देता है कि यह स्थापित करना आवश्यक है कि क्या विकलांगता या मृत्यु का सेवा शर्तों के साथ कारण संबंध था। प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य दोनों तरह के सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखा जाएगा और उचित संदेह का लाभ, यदि कोई हो, व्यक्ति को दिया जाएगा।चिकित्सा विनियमों के विनियम **423** के खंड **(**बी**)** में यह माना गया है कि यदि सशस्त्र बलों में 'कर्तव्य' के वास्तविक प्रदर्शन के दौरान घाव या चोट लगी थी, तो घाव या चोट के परिणामस्वरूप होने वाली अक्षमता या मृत्यु को सेवा के लिए जिम्मेदार माना जाएगा।यह "कर्तव्य माने जाने" के विपरीत है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1982 के नियम **12 (**च**)** के अनुसार**,** जैसा कि नियम तब होता है जब कोई व्यक्ति सख्ती से कर्तव्य पर नहीं होता है।हालाँकि**,** सक्रिय कर्तव्य के मामलों में भी स्वयं को चोट पहुँचाने वाली या व्यक्ति की अपनी गंभीर लापरवाही या कदाचार के कारण होने वाली चोटों को तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि सेवा कारक इस तरह की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार थे।यह सवाल कि क्या किसी विकलांगता या मृत्यु के लिए सैन्य सेवा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या नहीं**,** मेडिकल बोर्ड द्वारा तय किया जाना है।अक्षमता या मृत्यु के वास्तविक कारण और जिन परिस्थितियों के तहत इसकी उत्पत्ति हुई है**,** उनके संबंध में चिकित्सा बोर्ड की राय को **1982** के नियम **17** के संदर्भ में अंतिम माना जाएगा**,** जिसका प्रभाव यह है कि प्रारंभिक दावा चरण में**,** दावे को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के निर्णयों के लिए पात्रता और मूल्यांकन पर चिकित्सा विचार प्रबल होंगे।**[**पारस **15-18] [141-F-H; 142-A-B, D-F]**

बी.

सी.

1.4 विनियम **423 (**डी**)** में यह प्रावधान है कि यह प्रश्न कि क्या कोई विकलांगता या मृत्यु सेवा के कारण हुई है या सेवा के कारण हुई है या नहीं**,** इसका निर्णय चिकित्सा बोर्ड**/**चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इसके चिकित्सा पहलुओं के संबंध में किया जाएगा। चिकित्सा बोर्ड की ऐसी राय जहां तक वह अक्षमता या मृत्यु के वास्तविक कारण से संबंधित है और जिन परिस्थितियों में मौलिकता को अंतिम माना जाएगा।कमांडिंग ऑफिसर को अपनी राय दर्ज करनी होती है कि क्या घायल व्यक्ति ड्यूटी पर था और क्या वह सी**.** ओ**.** आई**.** में दोषी था। इसलिए**,** सी**.** ओ**.** आई**.** का दायरा यह निर्धारित करने के लिए घायल व्यक्ति के आचरण की जांच करना है कि क्या व्यक्ति ने खुद को विभागीय रूप से कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाया है।चोट के संबंध में**,** सी**.** ओ**.** आई**.** की कार्यवाही में सेना की सेवा के लिए चोट का कारण संबंध अंतिम नहीं है।विनियमन **423** खंड **(**ए**), (**बी**)** और **(**डी**)** को ध्यान में रखते हुए**,** सैन्य सेवा के कारण होने वाली चोट या मृत्यु के बीच कारण संबंध होना चाहिए।निर्धारित करने वाला कारक दुर्घटना और सैन्य कर्तव्यों के बीच एक कारण संबंध है। चोट या मृत्यु सैन्य सेवा से जुड़ी होनी चाहिए चाहे वह कितनी भी दूर हो।चोट या मृत्यु सशस्त्र सेवा का हस्तक्षेप होना चाहिए न कि एक दुर्घटना जिसे मनुष्यों के लिए सामान्य जोखिम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।जब कोई व्यक्ति घर की वस्तुएँ खरीदने के लिए स्कूटर पर जा रहा होता है**,** तो ऐसी गतिविधि**,** यहाँ तक कि दूर से भी सैन्य सेवा के साथ कोई कारण संबंध नहीं है।**[**पारस **19-20] [142-G-H; 143-A-C] A**

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

127

भारत सरकार और ओ. आर. एस. v.धर्मबीर सिंह ए

1.5 रक्षा सेवा विनियमों के पैरा **520** के संदर्भ में**, I.A.F.Y.-2006** पर एक प्रमाण पत्र को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा कमांडिंग अधिकारी को अग्रेषित किया जाना आवश्यक है।सी**.** ओ**.** आई**.** को चोट **(**खंड सी**)** की परिस्थितियों की जांच करने के लिए इकट्ठा किया जाता है।कमांडिंग ऑफिसर को अपनी राय दर्ज करनी होती है कि क्या घायल व्यक्ति ड्यूटी पर था या नहीं**,** जिसमें यह भी शामिल है कि क्या वह दोषी था।इसके बाद कार्यवाही को ब्रिगेड कमांडर या अधिनियम की धारा **8** के तहत अधिकृत अधिकारी के पास भेजा जाता है ताकि कारणों को दर्ज किया जा सके कि क्या विकलांगता या मृत्यु सैन्य सेवा के कारण हुई थी और क्या यह क्षेत्र सेवा में हुई थी।कमांडिंग ऑफिसर ने बताया है कि चोट सैन्य सेवा के कारण नहीं लगी है**,** लेकिन वर्तमान अपील की सुनवाई के समय अदालत के समक्ष प्रस्तुत **I.A.F.Y.-2006** से पता चलता है कि ब्रिगेड कमांडर ने समर्थन किया है कि चोट सैन्य सेवा के कारण लगी है।ब्रिगेड कमांडर के पास इस निष्कर्ष को वापस करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि अक्षमता सैन्य सेवा के कारण थी**,** जबकि गवाहों के साक्ष्य और कमांडिंग ऑफिसर द्वारा दिया गया निष्कर्ष यह है कि इस आदेश के पहले भाग में पुनः प्रस्तुत कॉलम **3 (**सी**)** के अनुसार दुर्घटना के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।चूँकि दुर्घटना तब हुई है जब प्रत्यर्थी घरेलू सामान खरीद रहा था**,** इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि चोट और सैन्य सेवा के बीच कोई कारण संबंध है।हालाँकि**,** चोट के मामलों का श्रेय निर्धारण रोग के मामलों से अलग है**,** लेकिन इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है कि चोट के मामलों में**,** सी**.** ओ**.** आई**.** का निष्कर्ष अंतिम है।इसलिए**,** यह मानने में असमर्थ कि सभी स्थितियों में ब्रिगेड कमांडर की राय लगी चोट के संबंध में अंतिम होगी।प्रश्न संख्या **2** के उत्तर में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चिकित्सा बोर्ड की राय **1982** के नियम **17** और चिकित्सा विनियमों के विनियम **423 (**डी**)** के संदर्भ में अंतिम है।सी**.** ओ**.** आई**.** द्वारा अनुसंधान का उद्देश्य चोटों की प्रकृति की अनुसंधान करना है कि क्या ऐसी चोटें ड्यूटी पर या बाहर लगी थीं।हालाँकि**,** पैरा **520** का प्रभाव यह नहीं है कि ब्रिगेड कमांडर की राय अंतिम है जिसके आधार पर विकलांगता पेंशन का अनुदान निर्भर है। अक्षमता के प्रतिशत के साथ**-**साथ सैन्य सेवा द्वारा अक्षमता को जिम्मेदार ठहराया जाता है या बढ़ाया जाता है**,** इसका मूल्यांकन चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।सी**.** ओ**.** आई**.** का उद्देश्य संचालन की जांच करना है

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

128 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 13 एस. सी. आर.

सशस्त्र बलों के कर्मी**,** जबकि**,** चिकित्सा बोर्ड सैन्य सेवाओं के साथ चोट के कारण संबंध और विकलांगता की सीमा की भी जांच करता है।इस प्रकार**,** सी**.** ओ**.** आई**.** और चिकित्सा बोर्ड की राय दोनों के प्राप्त करने के लिए अलग**-**अलग उद्देश्य और उद्देश्य हैं।न्यायाधिकरण का आदेश टिकाऊ नहीं है।न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रत्यर्थी द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।**[**पारस **22,23** और **37] [145-**जी**-**एच**; 146-**ए**-**जी**; 151-**बी**]**

बी.

रेणु देवी बनाम भारत संघ और अन्य। **2019 (12)** स्केल **730;** भारत संघ और अन्य बनामविजय कुमार **No.3989606**

पी, एक्स-नाइक (2015) 10 एससीसी 460:[2015] 14 एस. सी. आर. 295-पर निर्भर था।

सी.

भारत संघ और अन्य बनामखुशबाश सिंह **2010 (3)** एसएलआर **103;** बरकत मसीह बनाम भारत संघ और अन्य। **2014** में

एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन पी**.** एंड एच**. 10564-**अच्छा कानून नहीं था।

मदन सिंह शेखावत बनाम भारत संघ और अन्य। (1999) 6 एससीसी 459; मदन सिंह शेखावत, पेंशन मंजूरी प्राधिकरण, पी. सी. डी. ए. (पी), इलाहाबाद और अन्य।एम. एल. जॉर्ज, एक्स. एसजीटी (2015) 15 एससीसी 319; नंद किशोर मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य। जे. टी. 2013 (10)

डी.

एससी 466:[2013] एस. सी. आर. 212; भारत संघ और ए. एन. आर. वी.सुरेंद्र पांडे (2015) 13 एस. सी. सी. 625; वरदीप सिंह और

ई.

एन**.** आर**.** वी**.**भारत संघ और अन्य। **2004 (3)** एसएलआर **500;** खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनामश्री महादेश्वर सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड**,** कोल्लेगल **(2019)**

4 एससीसी 376:[2019] 3 एस. सी. आर. 411; लांस दफेदार

जोगिंदर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य। **1995** पूरक **3** एस**.** सी**.** सी**. 232;** भारत संघ और अन्य बनामकेसर सिंह **(2007)**

एफ.

12 एससीसी 675:[2007] 5 एससीआर 408; भारत संघ और ए. एन. आर. वी.बलजीत सिंह (1996) 11 एस. सी. सी. 315:[1996] 7 पूरक।

एससीआर **626;** भारत संघ और अन्य बनामधीर सिंह चीन**,**

कर्नल (सेवानिवृत्त) (2003) 2 एस. सी. सी. 382:[2003] 1 एससीआर 779;

जी.

रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) और अन्य।एस.

बालचंद्रन नायर (2005) 13 एस. सी. सी. 128:[2005] 4

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 431;** सचिव**,** रक्षा मंत्रालय और अन्य।

बनाम अजीत सिंह (2009) 7 एस. सी. सी. 328:[2009] 8 एससीआर 934;

सुखवंत सिंह बनाम भारत संघ और अन्य। **(2012) 12** एससीसी **228;** भारत संघ और अन्य बनामजुझार सिंह **(2011)**

एच.

129

भारत सरकार और ओ. आर. एस. v.धर्मबीर सिंह ए

ए.

7 एससीसी 735:[2011] 8 एस. सी. आर. 258; जगतर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का निर्णय।2 नवंबर, 2010 को 2010 के टी. ए. सं. 61 में-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

बी.

(1999) 6 एससीसी **459**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3**

2019 (12) स्केल **730**

उस पर भरोसा करें

पैरा **4**

[2015] 14 एससीआर **295**

उस पर भरोसा करें

पैरा **4**

2010 (3) एसएलआर **103**

अच्छा कानून नहीं माना गया पैरा **5**

सी.

(2015) 15 एस**.** सी**.** सी**. 319**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

[2013] एस**.** सी**.** आर**. 212**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

(2015) 13 एस**.** सी**.** सी**. 625**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

2004 (3) एसएलआर **500**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27**

डी.

[2019] 3 एससीआर **411**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

(1995) सप्लीमेंट **3** एस**.** सी**.** सी**. 232** पैरा **30 [2007] 5** एस**.** सी**.** आर**. 408** पैरा **31 [1996] 7** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 626** पैरा **31 [2003] 1** एस**.** सी**.** आर**. 779** पैरा **31 [2005] 4** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है। एस**.** सी**.** आर**. 431** पैरा **31 [2009] 8** एस**.** सी**.** आर**. 934** पैरा **32 (2012) 12** एस**.** सी**.** सी**. 228** पैरा **33 [2011] 8** एस**.** सी**.** आर**. 258** पैरा **33** को संदर्भित

ई.

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2012 की सिविल अपील सं. 4981।

2010 के ओ. ए. संख्या 687 में चंडीगढ़ में विद्वान सशस्त्र बल न्यायाधिकरण चंडीगढ़ पीठ के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

जी.

सुश्री रुचिरा गुप्ता, सुश्री आकांक्षा कौल, सुश्री मोना सिन्हा, ए. के. शर्मा और बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

एच.

राजेश सहगल और अविजीत भट्टाचार्जी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता**,** जे।

1. वर्तमान अपील में चुनौती 7 मार्च, 2011 को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़, चंडीमंदिर 1 की क्षेत्रीय पीठ द्वारा पारित एक आदेश को दी गई है, जिसमें प्रत्यर्थी धरमबीर सिंह को विकलांगता पेंशन प्रदान की गई है, क्योंकि चोट सैन्य सेवा के कारण पाई गई थी।

बी.

2. निर्विवाद तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी 28 दिसंबर, 1981 को प्रादेशिक सेना में शामिल हुआ और 13 दिसंबर, 1999 को उसे छुट्टी दे दी गई।उन्हें 25 जनवरी, 1999 से 26 जनवरी, 1999 तक दो दिन की आकस्मिक छुट्टी दी गई थी, जब वे जालंधर कैंट में तैनात थे।छुट्टी की अवधि के दौरान, वह एक स्कूटर की सवारी करते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गए और उनके सिर में फेसिओमैक्सिलरी और कंपाउंड फ्रैक्चर 1/3rd फेमर (LT) से चोट लगी।उन परिस्थितियों की जाँच के लिए एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी 2 आयोजित की गई थी जिनके तहत प्रत्यर्थी को चोटें आईं।ब्रिगेड कमांडर ने 18 अगस्त, 1999 को अपनी रिपोर्ट दी है कि शांति क्षेत्र में हुई चोटों के लिए सैन्य सेवा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।कॉलम 3 (सी) के तहत दर्ज रिपोर्ट के निष्कर्षों में से एक को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

सी.

डी.

“(ग) दुर्घटना के लिए किसी और को दोषी ठहराया गया था? (यदि हां, तो बताएँ कि कैसे और किस हद तक)।	किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। वास्तव में, उन्होंने अपने ही स्कूटर पर नियंत्रण खो दिया। ”

ई.

3. 17 वर्ष और 225 दिनों की पेंशन योग्य सेवा प्रदान करने के बाद, 29 नवंबर, 1999 की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 13 दिसंबर, 1999 को प्रत्यर्थी को सेवा से छुट्टी दे दी गई, जिसमें अक्षमता को 30 प्रतिशत माना गया था।हालाँकि, विकलांगता पेंशन के दावे को मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि विकलांगता न तो सैन्य सेवा के कारण थी और न ही बढ़ रही थी।विकलांग पेंशन के लिए अपने दावे की अस्वीकृति के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा दायर एक अपील को अतिरिक्त महानिदेशालय, कार्मिक सेवा द्वारा खारिज कर दिया गया था।इसके बाद प्रत्यर्थी ने न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया।विद्वत न्यायाधिकरण ने इस निर्णय का उल्लेख किया

एफ.

जी.

मदन सिंह शेखावत बनाम भारत संघ और अन्य मामले में न्यायालय। **3** और आयोजित

कि प्रत्यर्थी विकलांगता पेंशन का हकदार है।

1 संक्षेप में, 'ट्रिब्यूनल' 2 संक्षेप में, 'सीओआई' 3 (1999) 6 एससीसी 459 ए

एच.

131

भारत सरकार और ओ. आर. एस. v.धर्मबीर सिंह [हेमंत गुप्ता, जे।]

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हालांकि प्रत्यर्थी को ड्यूटी पर माना जाएगा, भले ही वह आकस्मिक छुट्टी या वार्षिक छुट्टी पर हो, लेकिन लगी चोटों का कारण संबंध होना चाहिए जैसा कि सैन्य सेवा के कारण या बढ़ गया हो।इस मामले में प्रत्यर्थी अपनी बहन के लिए बिजली का सामान खरीदने के लिए स्कूटर पर जा रहा था, जब उसने एक साइकिल चालक को बचाते हुए नियंत्रण खो दिया, इसलिए, विकलांगता और सैन्य सेवा के परिणामस्वरूप होने वाली चोटों के बीच कोई कारण संबंध नहीं है।अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने रेणु देवी बनाम संघ के मामले में इस न्यायालय के हाल के दो फैसलों पर भरोसा किया।

बी.

भारत और ओआरएस। **4** और भारत संघ और अन्य बनामविजय कुमार **No.3989606**

पी, एक्स-नाइक 5.विजय कुमार के मामले में इस न्यायालय ने विकलांग पेंशन की स्वीकार्यता की जांच की, जब सशस्त्र बलों के कर्मी छुट्टी पर होते हैं।न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्षों के साथ दावे को अस्वीकार कर दियाः

सी.

“23. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी को लगी चोट का सैन्य सेवा के साथ कोई कारण संबंध नहीं है।न्यायाधिकरण इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि प्रत्यर्थी को चोट पहुँचाने वाली दुर्घटना उसके सैन्य कर्तव्य से भी दूर से जुड़ी नहीं थी और यह पूरी तरह से निजी कार्य के क्षेत्र में आती है और इसलिए विवादित आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता है।”

डी.

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश सहगल ने तर्क दिया कि विकलांगता पेंशन का दावा दो शीर्षों के तहत उत्पन्न होता हैःएक, 'चोट' के तहत और दूसरा, 'बीमारी' के मामलों के तहत।यह तर्क दिया जाता है कि बीमारी के मामलों के संबंध में चिकित्सा बोर्ड की राय अंतिम है, लेकिन चोट के मामलों के संबंध में, सी. ओ. आई. का निष्कर्ष अंतिम है और इसे विकलांगता पेंशन के अनुदान का आधार बनाया जाना है।उन्होंने

वर्ष 1986 में प्रकाशित रक्षा सेवा विनियमों के पैरा 520 का उल्लेख किया है, जिसे हम प्रासंगिक स्तर पर पुनः प्रस्तुत करेंगे।न्यायाधिकरण के विभिन्न फैसलों के साथ-साथ पंजाब और पंजाब की पूर्ण पीठ के फैसलों पर भी निर्भरता रखी गई है।

ई.

एफ.

भारत संघ और अन्य मामलों में हरियाणा उच्च न्यायालय बनामखुशबाश सिंह **6**

इसके बाद बरकत मसीह बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में खंड पीठ का फैसला आया। 7 हममें से एक (न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता) द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दिया गया।यह तर्क दिया जाता है कि किसी ऐसी गतिविधि के कारण होने वाली कोई भी चोट जो "असैन्य गतिविधि" नहीं है,

जी.

4 2017 और ए. एन. आर. की डायरी No.37356 से उत्पन्न सिविल अपील में 3 जुलाई, 2019 को निर्णय लिया गया।

5 (2015) 10 एससीसी 460

6 2010 (3) एसएलआर 103

7 2014 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 10564 ए

एच.

सैन्य सेवा के कारण लगी या बढ़ी हुई चोट मानी जाती है।बरकत मसीह में डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

“20. मदन में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए

सिंह शेखावत का मामला (ऊपर), बीर सिंह का मामला (ऊपर)

और खुशभश सिंह के मामले (ऊपर) में इस अदालत के पूर्ण पीठ के फैसले में, हम पाते हैं कि आकस्मिक अवकाश पर रहने के दौरान याचिकाकर्ता को लगी चोटें याचिकाकर्ता को विकलांगता पेंशन का हकदार बनाती हैं क्योंकि चोट को सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार माना जाएगा।नतीजतन, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।”6. इससे पहले कि हम पक्षों के

लिए विद्वान अधिवक्ता की संबंधित दलीलों पर विचार करें, सेना अधिनियम, 1950-8 के प्रावधान, 29 नवंबर, 1962 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, विकलांग पेंशन के अनुदान के संबंध में लागू होने वाले नियम और विनियमों को यहां निकाला जाना चाहिएः

बी.

सी.

“सेना अधिनियम**, 1950** धारा **3 (i)**

डी.

(i) "सक्रिय सेवा", जैसा कि इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर लागू होता है, का अर्थ है वह समय जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति -

(क) एक ऐसे बल से जुड़ा हुआ है या उसका हिस्सा है जो दुश्मन के खिलाफ अभियानों में लगा हुआ है, या

ई.

(बी) किसी ऐसे देश या स्थान में सैन्य अभियानों में लगा हुआ है, या उस पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से दुश्मन का कब्जा है, या (सी) किसी ऐसे बल से जुड़ा हुआ है या उसका हिस्सा है जो किसी विदेशी देश के सैन्य कब्जे में है।”

एफ.

“ धारा 9

व्यक्तियों को सक्रिय सेवा में घोषित करने की शक्ति।

धारा 3 के खंड (i) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में जिसमें वे सेवारत हो सकते हैं या इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के किसी प्रावधान के संदर्भ में, इस अधिनियम के अर्थ के भीतर सक्रिय सेवा पर समझा जाएगा।

जी.

8 संक्षेप में, 'एक्ट' ए

एच.

“ अधिसूचना दिनांक 29.11.1962

एस. आर. ओ. 6.ई-नई दिल्ली, 28 नवंबर 1962

सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि उस अधिनियम के अधीन सभी व्यक्ति, जो इसकी धारा 3 के खंड (l) के तहत सक्रिय सेवा पर नहीं हैं, वे जहां भी सेवा कर रहे हों, उक्त अधिनियम और उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रयोजनों के लिए उस अधिनियम के अर्थ के भीतर सक्रिय सेवा पर माने जाएंगे।”

बी.

“ सेवाओं के लिए अवकाश नियम, खंड-I (सेना)

सी.

नियम **10.**नियम **11 (**ए**)** में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर आकस्मिक अवकाश को कर्तव्य के रूप में माना जाता है।

इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार की छुट्टी या अनुपस्थिति के पूरक के रूप में नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि खेल आयोजनों और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मियों के लिए नियम 72 के खंड (ए) में प्रावधान किया गया है।एक वर्ष में देय आकस्मिक अवकाश केवल उसी वर्ष के भीतर लिया जा सकता है।हालाँकि, यदि किसी व्यक्ति को अगले वर्ष तक विस्तारित वर्ष के अंत में आकस्मिक अवकाश दिया जाता है, तो बाद के वर्ष में विफल होने की अवधि उस वर्ष की आकस्मिक अवकाश पात्रता के खिलाफ डेबिट की जाएगी।नियम 11 (ए)-उस वर्ष के लिए वार्षिक छुट्टी, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के विवेक पर, उस वर्ष के लिए अधिकृत वार्षिक छुट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अगले कैलेंडर वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है जिसमें विस्तारित छुट्टी समाप्त हो जाती है;

डी.

ई.

(ख) वार्षिक अवकाश उसी वर्ष के भीतर किश्तों में लिया जा सकता है।

एफ.

(ग) वार्षिक अवकाश वर्ष कैलेंडर वर्ष है।, 1 सेंट जनवरी से 31 दिसंबर तक।

(11 को प्रतिस्थापित छोड़ दें।लेखक:एमओडी पत्र सं। बी/33922/एजी/पीएस-(बी)/642/डी (एजी) दिनांक 4 अप्रैल 2011)।”

जी.

“ छुट्टी/सेवानिवृत्ति के समय विकलांगता के लिए अक्षमता तत्व (2008)

विनियमन 53 (ए)-एक व्यक्ति जिसे नियुक्ति की अवधि पूरी होने पर या सेवा सीमा पूरी होने पर या निर्धारित आयु प्राप्त करने पर (उसकी अवधि की परवाह किए बिना) रिहा/सेवानिवृत्त/छुट्टी दे दी जाती है।

एच.

134

), यदि सैन्य सेवा के कारण या उससे बढ़ी हुई विकलांगता से पीड़ित पाया जाता है और इसलिए रिलीज मेडिकल बोर्ड द्वारा दर्ज किया जाता है, तो सेवानिवृत्ति/निर्वहन की तारीख से सेवा पेंशन या सेवा ग्रेच्युटी के अलावा विकलांगता तत्व प्रदान किया जा सकता है, यदि विकलांगता की स्वीकृत डिग्री का आकलन 20 प्रतिशत या उससे अधिक किया जाता है।"

बी.

विनियम 82-मृत्यु या अक्षमता पर पेंशन लाभों का निर्धारण करने के लिए जो विभिन्न परिस्थितियों में सैन्य सेवा के कारण या उससे बढ़े हुए हैं, मामलों को व्यापक रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगाः-

श्रेणी ए

सी.

प्राकृतिक कारणों से मृत्यु या अक्षमता, जैसा कि सक्षम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया है, न तो सैन्य सेवा द्वारा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और न ही बढ़ सकता है।उदाहरण चिकित्सा अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन की गई संवैधानिक बीमारियों की प्रकृति की बीमारियां, हृदय और गुर्दे की बीमारियों जैसी पुरानी बीमारियां, लंबे समय तक बीमारी, ड्यूटी पर नहीं रहने के दौरान दुर्घटनाएं होंगी।

डी.

स्पष्टीकरण:

श्रेणी ए के तहत आने वाले प्राकृतिक कारणों से मृत्यु या विकलांगता के मामलों में सामान्य पारिवारिक पेंशन या अमान्य पेंशन या अमान्य ग्रेच्युटी का अधिकार होता है।

ई.

श्रेणी बी

उन कारणों से मृत्यु या अक्षमता जो सक्षम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित सैन्य सेवा द्वारा जिम्मेदार या बढ़े हुए के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।प्रतिकूल कार्य वातावरण के निरंतर संपर्क के कारण चरम मौसम की स्थिति या व्यावसायिक खतरों के परिणामस्वरूप मृत्यु या विकलांगता के कारण होने वाली बीमारी उदाहरण होंगे।

एफ.

श्रेणी सी

कर्तव्यों के निष्पादन में दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु या अक्षमता जैसे किः

जी.

(i) सरकारी वाहनों या सार्वजनिक/निजी परिवहन में ड्यूटी पर यात्रा करते समय दुर्घटनाएँ।

((ii) हवाई यात्रा के दौरान दुर्घटनाएँ A

एच.

135

भारत सरकार और ओ. आर. एस. v.धर्मबीर सिंह [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

((iii) ड्यूटी के दौरान समुद्र में दुर्घटनाएँ।((iv) ड्यूटी आदि के दौरान करंट लगना।

(v) संगठित खेल आयोजनों/साहसिक गतिविधियों/अभियानों या प्रशिक्षण में भाग लेने के दौरान दुर्घटनाएँ।

स्पष्टीकरण:

बी.

श्रेणी बी और श्रेणी सी के तहत आने वाले रोग संविदित या लगी चोट या मृत्यु के कारण के कारण अमान्य होने के मामले को यदि चिकित्सा प्राधिकरण और/या सैन्य सेवा द्वारा जिम्मेदार या बढ़े हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है तो व्यक्ति को विकलांगता पेंशन या विशेष पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है।

सी.

श्रेणी डी

आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा/हमले के कृत्यों के कारण मृत्यु या अक्षमता, चाहे वह परिचालन कर्तव्य के अलावा अन्य कर्तव्य पर हो या कर्तव्य पर न हो। सार्वजनिक स्थानों या परिवहन में बम विस्फोट, सार्वजनिक रूप से अंधाधुंध गोलीबारी की घटनाओं आदि को इस श्रेणी के तहत शामिल किया जाएगा, इसके अलावा नागरिक शक्ति की

सहायता में कार्यरत होने और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के दौरान होने वाली मृत्यु/अक्षमता को भी शामिल किया जाएगा।

डी.

स्पष्टीकरण:

ई.

श्रेणी डी के तहत आने वाले मामले उदारीकृत विकलांगता पेंशन या उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के हकदार हैं।

श्रेणी ई

इसके परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु या अक्षमताः- (i) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई

एफ.

((ii) विदेश में शांति मिशन के साथ तैनाती के दौरान कार्रवाई (iii) सीमा पर झड़पें।

(iv) दुश्मन की खानों सहित खानों को बिछाने या हटाने के साथ-साथ खदानों को साफ करने के कार्यों के दौरान।

जी.

(v) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा के पास परिचालन क्षेत्रों में दुश्मन या अपने बलों द्वारा रखे गए खनन क्षेत्र को उठाने या बातचीत करते समय खानों के आकस्मिक विस्फोटों के कारण।

एच.

(vi) युद्ध जैसी परिस्थितियाँ, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जो निम्नलिखित के कारण हो सकते हैं/बढ़ सकते हैंः-

(1) चरमपंथी कृत्य, विस्फोट करने वाली खानें आदि, एक परिचालन क्षेत्र में जाते समय

(2) युद्ध टीकाकरण प्रशिक्षण अभ्यास या जीवित गोला-बारूद के साथ प्रदर्शन

बी.

(3) ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान चरमपंथियों द्वारा अपहरण

(vii) संचालन कर्तव्य पर रहते हुए चरमपंथियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा/हमले का कार्य।

सी.

(viii) प्रदर्शनकारियों द्वारा आंदोलन, दंगे या विद्रोह को दबाने में नागरिक शक्ति की सहायता में कार्यरत चरमपंथियों, असामाजिक तत्वों आदि की मृत्यु/अक्षमता के खिलाफ कार्रवाई को इस श्रेणी के तहत शामिल किया जाएगा।

(ix) सरकार द्वारा समय-समय पर विशेष रूप से अधिसूचित संचालन।

डी.

व्याख्याः

श्रेणी ई के तहत आने वाली परिस्थितियों में होने वाली मृत्यु या चोट, उदारीकृत पारिवारिक पेंशन या युद्ध-चोट पेंशन का अधिकार देती है।

ई.

ध्यान देंः'ए' से 'ई' तक ऊपर दी गई प्रत्येक श्रेणी में दिए गए चित्र संपूर्ण नहीं हैं।इन श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आने वाले मामलों को इन विनियमों के ए. पी. पी. ए. एन. डी. आई. एक्स. IV में निहित आकस्मिकता पेंशन पुरस्कार, 1982 के लिए पात्रता नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा।”

एफ.

7. सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 को अब सेना के लिए पेंशन विनियम, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 और सेना के लिए पेंशन विनियम, 2008 अक्षमता पेंशन की स्वीकार्यता के संबंध में काफी हद तक समान हैं।सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 का विनियम 173 निम्नानुसार हैः

जी.

“173. रक्षा सुरक्षा कोर के कर्मियों को पेंशन संबंधी पुरस्कारों का अनुदान उन्हीं विनियमों द्वारा शासित होगा जो सेना के अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों पर लागू होते हैं, सिवाय इसके कि वे इस अध्याय में विनियमों के प्रावधानों के साथ असंगत हैं।”

एच.

भारत सरकार और ओ. आर. एस. v.धर्मबीर सिंह [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

ए.

8. आकस्मिक पेंशन पुरस्कारों के लिए पात्रता नियम, 1982-9 उन सेवा कर्मियों पर लागू होते हैं जो 1 जनवरी, 1982 को या उसके बाद अप्रभावी हो जाते हैं।1982 के नियमों से पहले, 1950 के पात्रता नियम लागू थे जो 1982 के नियमों के समान हैं जहां तक सैन्य सेवा के कारण विकलांग होने पर विचार करने वाले कारकों का संबंध है।1982 के नियमों के नियम 12,13,17 और 19 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

बी.

“12. सशस्त्र बलों की अनुशासनात्मक संहिता के अधीन एक व्यक्ति "कर्तव्य" पर हैः-

(क) जब कोई आधिकारिक कार्य या कार्य किया जाता है, तो ऐसा करने में विफलता उस पर लागू अनुशासनात्मक संहिता के तहत एक दंडनीय अपराध होगा।

सी.

(ख) आवाजाही के तरीके की परवाह किए बिना कर्तव्य के एक स्थान से कर्तव्य के दूसरे स्थान पर जाते समय।

(ग) सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित या अनुमत मनोरंजन और अन्य इकाई गतिविधियों में भागीदारी की अवधि के दौरान और किसी निर्धारित या संगठित मार्ग से किसी निकाय या एकल में यात्रा करने की अवधि के दौरान।

डी.

नोटः**1**

((a) XXX

XXX

(ख) XXX

XXX

ई.

((c) XXX

XXX

नोटः**2**

एफ.

XXX

XXX

(घ) अपने लीव स्टेशन से आगे बढ़ते समय या अपने लीव स्टेशन से ड्यूटी पर लौटते समय, बशर्ते सार्वजनिक खर्चों पर यात्रा करने का हकदार हो, यानी रेलवे वारंट पर, रियायती वाउचर पर, नकद टी. ए. पर (चाहे रेलवे वारंट/नकद टी. ए. पूरी यात्रा के लिए या केवल एक हिस्से के लिए स्वीकार किया गया हो), सरकारी परिवहन में या जब यात्रा के लिए सड़क माइलेज का भुगतान/भुगतान किया जाता है।

जी.

(ई) XXX XXX

एच.

9 1982 नियम

138

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

(च) एक दुर्घटना जो तब होती है जब कोई व्यक्ति सख्ती से कर्तव्य पर नहीं होता है जैसा कि परिभाषित किया गया है, सेवा के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है, बशर्ते कि इसमें जोखिम शामिल था जो निश्चित रूप से उसकी सेवा की प्रकृति, स्थितियों, दायित्वों या घटनाओं से प्रकार या डिग्री में बढ़ाया गया था और यह कि यह भारत में आधुनिक परिस्थितियों में मानव अस्तित्व के लिए सामान्य जोखिम नहीं था।इस प्रकार, उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सशस्त्र बलों से संबंधित होने के कारण किसी अन्य पक्ष द्वारा मारा जाता है या घायल हो जाता है, तो उसे संबंधित समय पर 'ड्यूटी पर' माना जाएगा।यह लाभ दावेदार को सेना/नौसेना/वायु सेना अधिनियम में परिभाषित सक्रिय सेवा पर होने वाले मामलों में अधिक उदारता से दिया जाएगा।

बी.

सी.

“13. दुर्घटनाओं या चोटों के संबंध में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाएगाः-

(क) जब व्यक्ति "कर्तव्य पर" होता है, जैसा कि परिभाषित किया गया है, तो लगी चोटों को सैन्य सेवा के परिणामस्वरूप माना जाएगा, लेकिन गंभीर लापरवाही/कदाचार के कारण चोटों के मामलों में विकलांगता पेंशन को कम करने के सवाल पर विचार किया जाएगा।

डी.

(बी) ड्यूटी पर रहते हुए खुद को लगी चोटों के मामलों में, एट्रिब्यूटेबिलिटी को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि ऐसी कार्रवाई के लिए सेवा कारक जिम्मेदार थे; ऐसे मामलों में जहां एट्रिब्यूटेबिलिटी को स्वीकार किया जाता है, पूरी तरह से या कम दर पर विकलांगता पेंशन देने के सवाल पर विचार किया जाएगा।"

ई.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

"17. चिकित्सकीय रायःप्रारंभिक दावा चरण में, आई. एम. बी./आर. एम. बी. द्वारा पात्रता और मूल्यांकन पर चिकित्सीय विचार दिए जाते हैं। आम तौर पर, दावे को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के निर्णयों के लिए ये विचार प्रबल होंगे।संदेह के मामलों में मंत्रालय/सी. सी. डी. ए. (पेंशन) ऐसे मामलों को क्रमशः डी. जी. ए. एफ. एम. एस./सी. सी. डी. ए. (पी), इलाहाबाद के कार्यालय में एम. ए. (पेंशन) अनुभागों को दूसरी चिकित्सा राय के लिए भेज सकता है।अपील स्तर पर, उपयुक्त अपीलीय चिकित्सा अधिकारी पात्रता और मूल्यांकन पर चिकित्सा बोर्डों की राय की समीक्षा और संशोधन कर सकते हैं।"

एफ.

जी.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

"19. आक्रामकताःयदि यह साबित किया जाता है कि अक्षमता सेवा के कारण नहीं हुई थी, तो विशेषता स्वीकार नहीं की जाएगी।हालांकि, ए.

एच.

139

भारत सरकार और ओ. आर. एस. v.धर्मबीर सिंह [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

सेवा द्वारा उत्तेजना को तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी स्थिति में कोई गिरावट उसकी सेवा के कारण नहीं हुई या छुट्टी/दावे की तारीख पर बिगड़ती नहीं रही।"

9. चिकित्सा विनियमों का विनियम 423 उन चोटों की भी व्याख्या करता है जो सेवा के कारण होती हैं।इस तरह का विनियमन इस प्रकार हैः

बी.

“ विनियम 423।सेवा की विशेषता

क) यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या अक्षमता या मृत्यु का कारण सेवा के लिए जिम्मेदार है या नहीं, यह मायने नहीं रखता है कि अक्षमता या मृत्यु को जन्म देने वाला कारण क्षेत्र सेवा/सक्रिय सेवा क्षेत्र घोषित क्षेत्र में हुआ या सामान्य शांति स्थितियों के तहत। हालाँकि, यह स्थापित करना आवश्यक है कि क्या विकलांगता या मृत्यु का सेवा शर्तों के साथ कोई कारण संबंध था।

सी.

ख) घाव या चोट के परिणामस्वरूप विकलांगता या मृत्यु का कारण, सेवा के लिए जिम्मेदार माना जाएगा यदि सशस्त्र बलों में 'कर्तव्य' के वास्तविक प्रदर्शन के दौरान घाव/चोट लगी हुई थी।चोटों के मामले में जो स्वयं को लगी थीं या किसी व्यक्ति की अपनी गंभीर लापरवाही या कदाचार के कारण हुई थीं, बोर्ड यह भी टिप्पणी करेगा कि अक्षमता आत्म-प्रतिबिंब, लापरवाही या कदाचार के परिणामस्वरूप कितनी दूर तक हुई।

डी.

ई.

XXX

XXX

XXX

घ) यह प्रश्न कि क्या कोई विकलांगता या मृत्यु सेवा के कारण हुई है या सेवा के कारण हुई है या नहीं, इसके चिकित्सा पहलुओं के संबंध में चिकित्सा बोर्ड या मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।चिकित्सा बोर्ड/चिकित्सा अधिकारी अपनी राय के कारण बताएगा।चिकित्सा बोर्ड/चिकित्सा अधिकारी की राय, जहां तक यह अक्षमता या मृत्यु के वास्तविक कारण से संबंधित है और जिन परिस्थितियों में यह उत्पन्न हुई है, उन्हें अंतिम माना जाएगा।हालाँकि, यह सवाल कि क्या कारण और परिचर परिस्थितियों को सेवा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, पेंशन मंजूरी देने वाले प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा।

एफ.

जी.

ई) मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले चिकित्सा अधिकारी या अमान्य होने की स्थिति में चिकित्सा बोर्ड की सहायता के लिए, सीओ इकाई निम्नलिखित पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगीः

एच.

140

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

(i) ए. एफ. एम. एस. एफ-81 चोटों के अलावा अन्य सभी मामलों में।

(ii) आई. ए. एफ. वाई. 2006 युद्ध की चोटों के अलावा अन्य चोटों के सभी मामलों में।च) ऐसे मामलों में जहां विकलांग पेंशन या विकलांगों के पुनर्मूल्यांकन का संबंध है, एक चिकित्सा बोर्ड हमेशा आवश्यक होता है और एकल चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र उन स्टेशनों के अलावा स्वीकार नहीं किया जाएगा जहां ऐसे उद्देश्यों के लिए एक नियमित चिकित्सा बोर्ड को इकट्ठा करना संभव या व्यवहार्य नहीं है।बाद के मामले में एकल चिकित्सा कार्यालय का प्रमाण पत्र चिकित्सा बोर्ड के प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जाएगा और ए. डी. एम. एस. (सेना)/डी. एम. एस. (नौसेना)/डी. एम. एस. (वायु) द्वारा काउंटर साइन किया जाएगा।"

बी.

सी.

10. ऊपर पुनरुत्पादित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होते हैंः

(i) क्या, जब सशस्त्र बलों के कर्मी आकस्मिक छुट्टी, वार्षिक छुट्टी या किसी अन्य प्रकार की छुट्टी पर जाते हैं, तो उनके साथ ड्यूटी पर व्यवहार किया जाना चाहिए?

डी.

((ii) सशस्त्र बल के कर्मी के ड्यूटी पर होने पर भी क्या चोट या मृत्यु का सैन्य सेवा के साथ कोई कारण संबंध होना चाहिए ताकि यह माना जा सके कि ऐसी चोट या मृत्यु या तो सैन्य सेवा के कारण हुई है या सैन्य सेवा के कारण हुई है?

ई.

(iii) सशस्त्र बलों के कर्मियों को लगी चोट में सी. ओ. आई. का क्या प्रभाव और उद्देश्य है?

प्रश्न संख्या 1 का उत्तर

11. अधिनियम की धारा 3 (i) के संदर्भ में, सक्रिय सेवा का अर्थ है वह समय जिसके दौरान एक व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन है, एक ऐसे बल से जुड़ा हुआ है, या उसका हिस्सा है, जो सैन्य अभियानों में लगे दुश्मन के खिलाफ अभियान में लगा हुआ है, या किसी ऐसे देश या स्थान की ओर बढ़ रहा है, जिस पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से दुश्मन का कब्जा है, या किसी ऐसे बल से जुड़ा हुआ है या उसका हिस्सा है जो किसी विदेशी देश के सैन्य कब्जे में है। वर्तमान अधिनियम की धारा 3 (i) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

एफ.

जी.

12. अधिनियम की धारा 9 केंद्र सरकार को यह घोषित करने का अधिकार देती है कि अधिनियम के अधीन कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग, किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में जिसमें वे सेवारत हो सकते हैं या ए

एच.

141

भारत सरकार और ओ. आर. एस. v.धर्मबीर सिंह [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान को अधिनियम के अर्थ के भीतर सक्रिय सेवा पर माना जाएगा। इस तरह के प्रावधान के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि सभी व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन हैं, वे जहां भी सेवा कर रहे हों, उन्हें अधिनियम और उस समय लागू किसी अन्य कानून के अर्थ के भीतर सक्रिय सेवा में माना जाएगा।

बी.

13. इसके अलावा, छुट्टी के नियमों के संदर्भ में, आकस्मिक छुट्टी और वार्षिक छुट्टी को शुल्क के रूप में गिना जाता है।हालांकि, सेवाओं के लिए छुट्टी नियमों, खंड-I (सेना) के नियम 11 (ए) के संदर्भ में, आकस्मिक छुट्टी पर एक व्यक्ति को वास्तव में इस तरह की छुट्टी के दौरान कर्तव्य का पालन करने वाला नहीं माना जाता है।1982 नियमों में प्रावधान है कि एक व्यक्ति ड्यूटी पर है जब वह अपने लीव स्टेशन से आगे बढ़ रहा है या अपने लीव स्टेशन से ड्यूटी पर लौट रहा है।इसके अलावा, 1982 के नियमों के नियम 12 के खंड (च) के संदर्भ में, एक दुर्घटना को सेवा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब कोई व्यक्ति सख्ती से 'कर्तव्य पर' नहीं होता है जैसा कि परिभाषित किया गया है, बशर्ते कि इसमें जोखिम शामिल हो जो निश्चित रूप से उसकी सेवा की प्रकृति, स्थितियों, दायित्वों या घटनाओं से प्रकार या डिग्री में बढ़ाया गया था और यह कि यह भारत में आधुनिक परिस्थितियों में मानव अस्तित्व के लिए

सामान्य जोखिम नहीं था।इसलिए, यदि कोई व्यक्ति सशस्त्र बलों से संबंधित होने के कारण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मारा जाता है या घायल हो जाता है, तो उसे 'ड्यूटी पर' माना जाएगा।

सी.

डी.

14. इस प्रकार, यह माना जाता है कि जब सशस्त्र बलों के कर्मी आकस्मिक छुट्टी या वार्षिक छुट्टी का लाभ उठा रहे हों, तो उन्हें ड्यूटी पर माना जाना चाहिए।

ई.

प्रश्न संख्या 2 का उत्तर

15. 1982 के नियम सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा की जा रही अभिव्यक्ति 'कर्तव्य' की विस्तृत परिभाषा देते हैं।इसमें वह अवधि शामिल है जब सशस्त्र बलों के कर्मी अपने लीव स्टेशन से आगे बढ़ रहे हैं या अपने लीव स्टेशन से ड्यूटी पर लौट रहे हैं।इसमें एक दुर्घटना भी शामिल है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति सख्ती से ड्यूटी पर नहीं होता है बशर्ते कि इसमें जोखिम शामिल हो जो निश्चित रूप से उसकी सेवा की प्रकृति, स्थितियों, दायित्वों या घटनाओं से प्रकार या डिग्री में बढ़ाया गया था और यह कि यह भारत में आधुनिक परिस्थितियों में मानव अस्तित्व के लिए सामान्य जोखिम नहीं था।हालाँकि, चिकित्सा विनियमों के विनियम 423 के अनुसार, ऐसी चोट का सैन्य सेवा के साथ कारण संबंध होना चाहिए या ऐसी चोट सैन्य सेवा से बढ़ जाती है।

एफ.

जी.

16. चिकित्सा विनियमों के विनियम 423 (ए) में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यह मायने नहीं रखता कि अक्षमता या मृत्यु को जन्म देने वाला कारण क्षेत्र सेवा घोषित क्षेत्र में हुआ है या नहीं।

एच.

या सक्रिय सेवा क्षेत्र या सामान्य शांति स्थितियों के तहत, कर्तव्य माना जाएगा।विनियम 423 (ए) आदेश देता है कि यह स्थापित करना आवश्यक है कि क्या विकलांगता या मृत्यु का

सेवा शर्तों के साथ कारण संबंध था।प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य दोनों तरह के सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखा जाएगा और उचित संदेह का लाभ, यदि कोई हो, व्यक्ति को दिया जाएगा। पुनरावृत्ति के लिए, उक्त खंड निम्नानुसार हैः

बी.

“क) यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या अक्षमता या मृत्यु का कारण सेवा के लिए जिम्मेदार है या नहीं, यह मायने नहीं रखता है कि अक्षमता या मृत्यु का कारण क्षेत्र सेवा/सक्रिय सेवा क्षेत्र घोषित क्षेत्र में हुआ या सामान्य शांति स्थितियों के तहत।हालाँकि, यह स्थापित करना आवश्यक है कि क्या विकलांगता या मृत्यु का सेवा शर्तों के साथ कोई कारण संबंध था।

सी.

17. चिकित्सा विनियमों के विनियम 423 के खंड (बी) में यह माना गया है कि यदि सशस्त्र बलों में 'कर्तव्य' के वास्तविक प्रदर्शन के दौरान घाव या चोट लगी थी, तो घाव या चोट के परिणामस्वरूप होने वाली अक्षमता या मृत्यु को सेवा के लिए जिम्मेदार माना जाएगा।यह 1982 के नियमों के नियम 12 (एफ) के अनुसार "कर्तव्य माना जाने" के विपरीत है, क्योंकि नियम तब होता है जब कोई व्यक्ति सख्ती से कर्तव्य पर नहीं होता है।हालाँकि, सक्रिय कर्तव्य के मामलों में भी व्यक्ति की अपनी गंभीर लापरवाही या कदाचार के कारण होने वाली चोटों को तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि सेवा कारक इस तरह की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार थे।

डी.

ई.

18. यह सवाल कि क्या किसी विकलांगता या मृत्यु के लिए सैन्य सेवा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या नहीं, मेडिकल बोर्ड द्वारा तय किया जाना है।अक्षमता या मृत्यु के वास्तविक कारण और जिन परिस्थितियों के तहत इसकी उत्पत्ति हुई है, उनके संबंध में चिकित्सा बोर्ड की राय को 1982 के नियम 17 के संदर्भ में अंतिम माना जाएगा, जिसका प्रभाव यह है कि प्रारंभिक दावा चरण में, दावे को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के निर्णयों के लिए पात्रता और मूल्यांकन पर चिकित्सा विचार प्रबल होंगे।19. विनियम 423 (डी) में यह प्रावधान है कि यह प्रश्न कि क्या कोई विकलांगता या मृत्यु सेवा के कारण हुई है या सेवा के कारण हुई है या नहीं, इसका निर्णय चिकित्सा बोर्ड/चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इसके चिकित्सा पहलुओं के संबंध में किया जाएगा।चिकित्सा बोर्ड की ऐसी राय जहां तक वह अक्षमता या मृत्यु के वास्तविक कारण से संबंधित है और जिन परिस्थितियों में मौलिकता को अंतिम माना जाएगा।कमांडिंग ऑफिसर को अपनी राय दर्ज करनी होती है कि क्या घायल व्यक्ति ड्यूटी पर था और क्या वह ए

एफ.

जी.

एच.

143

भारत सरकार और ओ. आर. एस. v.धर्मबीर सिंह [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

एक सी. ओ. आई. में दोष देना था। इसलिए, सी. ओ. आई. का दायरा यह निर्धारित करने के लिए घायल व्यक्ति के आचरण की जांच करना है कि क्या व्यक्ति ने खुद को विभागीय रूप से कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाया है।चोट के संबंध में, सी. ओ. आई. की कार्यवाही में सेना की सेवा के लिए चोट का कारण संबंध अंतिम नहीं है।

20. विनियमन 423 खंड (ए), (बी) और (डी) को ध्यान में रखते हुए, सैन्य सेवा के कारण होने वाली चोट या मृत्यु के बीच कारण संबंध होना चाहिए।निर्धारित करने वाला कारक दुर्घटना और सैन्य कर्तव्यों के बीच एक कारण संबंध है।चोट या मृत्यु सैन्य सेवा से जुड़ी होनी चाहिए चाहे वह कितनी भी दूर हो।चोट या मृत्यु सशस्त्र सेवा का हस्तक्षेप होना चाहिए न कि एक दुर्घटना जिसे मनुष्यों के लिए सामान्य जोखिम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति घर की वस्तुएँ खरीदने के लिए स्कूटर पर जा रहा होता है, तो ऐसी गतिविधि, यहाँ तक कि दूर से भी सैन्य सेवा के साथ कोई कारण संबंध नहीं है।

बी.

सी.

प्रश्न संख्या 3 का उत्तर

21. प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देने से पहले, रक्षा सेवा विनियमों के पैरा 520 को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैः

डी.

“520. सेना अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को चोट-(क) जब

अधिकारी, जे. सी. ओ., डब्ल्यू. ओ., या नर्स, चाहे ड्यूटी पर हों या न हों, घायल हैं (कार्रवाई में प्राप्त घावों को छोड़कर), आई. ए. एफ. वाई.-2006 पर एक प्रमाण पत्र मामले के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा घायल व्यक्ति के सी. ओ. को उस तारीख के बाद जल्द से जल्द भेजा जाएगा जिस दिन रोगी को बीमार सूची में रखा गया है, चाहे वह क्वार्टर में हो या अस्पताल में।तत्काल घातक चोटों के मामले में, उप-पैरा (सी) (आई) में निर्दिष्ट कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी कार्यवाही की रिपोर्ट आई. ए. एफ. वाई.-2006 की जगह लेगी।

ई.

एफ.

(बी) यदि चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित करता है कि चोट एक तुच्छ चरित्र की है, जिससे स्थायी दुष्प्रभाव होने की संभावना नहीं है, तो कोई कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उप-पैरा (सी) (ii), (iii), (iv) या (v) के तहत आवश्यक नहीं माना जाता है।हालांकि, किसी भी स्थिति में, आई. ए. एफ. वाई.-2006 पूरा हो जाएगा और जे. सी. ओ., डब्ल्यू. ओ. और ओ. आर. को छोड़कर सभी मामलों में निर्धारित चैनलों के माध्यम से सेना मुख्यालय, गैर-चिकित्सा अधिकारियों के मामले में ओ. आर. जी. डी. टी. ई. और अन्य मामलों में मेडिकल डी. टी. ई. को भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति कमान या अन्य मुख्यालयों में रखी जाएगी।जे. सी. ओ., डब्ल्यू. ओ. या ओ. आर., आई. ए. एफ. वाई.-2006 के मामले में आवश्यक प्रविष्टि के बाद, मूल सत्यापन के साथ अभिरक्षा के लिए अधिकारी आई/सी रिकॉर्ड को भेजा जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि क्या

जी.

एच.

वह ड्यूटी पर था और क्या वह दोषी था, सी. ओ. द्वारा प्राथमिक चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट (ए. एफ. एम. एस. एफ.-2 ए) में बताया गया है।(ग) निम्नलिखित मामलों में परिस्थितियों की जांच के लिए एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का गठन किया जाएगाः-

(i) यदि चोट घातक है या चिकित्सा अधिकारी द्वारा गंभीर प्रकृति की प्रमाणित है।जहां एक शव का पंचनामा आयोजित की जाती है, वहां कार्यवाही की मृत्यु समीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी कार्यवाही के साथ संलग्न की जाएगी।

बी.

(ii) यदि, सी. ओ. की राय में, चोट के कारण के बारे में संदेह मौजूद है।

सी.

(iii) यदि, सी. ओ. की राय में, संदेह मौजूद है कि घायल व्यक्ति उस समय ड्यूटी पर था या नहीं जब उसे चोट लगी थी।

(iv) यदि, किसी भी कारण से, चोट के कारण की पूरी तरह से जांच करना वांछनीय है।

डी.

(v) यदि चोट किसी अन्य व्यक्ति की गलती से लगी थी।ऐसे मामलों में जहां घायल व्यक्ति जेसीओ, डब्ल्यूओ या ओआर है, अदालत में पीठासीन अधिकारी के रूप में एक अधिकारी हो सकता है, जिसमें दो जेसीओ, डब्ल्यूओ या वरिष्ठ एनसीओ सदस्य हो सकते हैं।

(घ) कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी कोई राय नहीं देगी, लेकिन घायल व्यक्ति का सीओ सबूत पर अपनी राय दर्ज करेगा, जिसमें कहा जाएगा कि क्या घायल व्यक्ति ड्यूटी पर था और क्या वह दोषी था।जब घायल व्यक्ति की चोट से परे की परिस्थितियों के बारे में कोई सबूत सामने नहीं आता है तो इसे कार्यवाही में कहा जाना चाहिए।इसके बाद कार्यवाही को ब्रिगेड कमांडर या उस अधिकारी को भेजा जाएगा जिसे सेना अधिनियम की धारा 8 के तहत एक ब्रिगेड कमांडर की कानूनी और अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो उस पर अपना निर्णय दर्ज करेगा कि क्या विकलांगता या मृत्यु सैन्य सेवा के कारण हुई थी और क्या यह क्षेत्र सेवा में हुई थी।पुष्टि के बाद, चिकित्सा अधिकारी, जेसीओ, डब्ल्यूओ और ओआर को छोड़कर सभी मामलों में, घायल व्यक्ति की सेवा पर चोट के प्रभाव के बारे में कार्यवाही में अपनी राय दर्ज करेगा।इसके बाद सी. ओ. द्वारा निर्धारित चैनल के माध्यम से गैर-चिकित्सा अधिकारियों के मामले में सेना मुख्यालय, संगठन डी. टी. ई. और अन्य मामलों में चिकित्सा डी. टी. ई. को कार्यवाही भेजी जाएगी, जिसकी एक प्रति कमान या अन्य मुख्यालयों में रखी जाएगी।जे. सी. ओ. के मामले में, डब्ल्यू. ओ. या ओ. आर. रिकॉर्ड ए में बनाया जाएगा।

ई.

एफ.

जी.

एच.

145

भारत सरकार और ओ. आर. एस. v.धर्मबीर सिंह [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

सी. ओ. द्वारा प्राथमिक चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट (ए. एफ. एम. एस. एफ.-2 ए) कि एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी आयोजित की गई है, और यह भी कि क्या वह व्यक्ति ड्यूटी पर था और क्या वह दोषी था।प्राथमिक चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट तब चिकित्सा अधिकारी को दी जाएगी जो उस व्यक्ति की सेवा पर चोट के प्रभाव के बारे में अपनी राय दर्ज करेगा।जांच की अदालत की कार्यवाही को घायल व्यक्ति के मूल प्रमाणन के साथ संलग्न करने के लिए अधिकारी आई/सी रिकॉर्ड को भेजा जाएगा (ऊपर उप-पैरा (बी) देखें), उपरोक्त उप-पैरा (सी) (वी) के तहत जांच की अदालत के मामले को छोड़कर, जिस मामले में कार्यवाही, व्यक्ति की सेवा पर चोट के प्रभाव के बारे में चिकित्सा राय की एक प्रति के साथ, बिना किसी देरी के सेना मुख्यालय को भेजी जाएगी।

बी.

सी.

(ई) जब कोई अधिकारी, जे. सी. ओ., डब्ल्यू. ओ., या नर्स, जो ड्यूटी पर नहीं है, किसी नागरिक या नागरिक की गलती से या उसके कारण किसी भी तरह से घायल हो जाता है, और किसी भी आगे के दावे के बदले में ऐसे नागरिक या नागरिक से मुआवजा प्राप्त करता है, तो इसे कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा।

(च) पैरा 271 में परिभाषित संगठित खेलों, खेलों और अन्य शारीरिक मनोरंजनों में भाग लेने के कारण हुई मौतों या चोटों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

डी.

उन सभी मामलों में जहां कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी आयोजित नहीं की जाती है, आईएएफवाई-2006 को आइटम 4 द्वारा आवश्यक गवाहों के बयानों के साथ पूरा किया जाएगा और जब लागू होगा, तो सीओ प्रमाणित करेगा कि खेल, खेल या शारीरिक मनोरंजन आयोजित किए गए थे।

ई.

(छ) चोट की रिपोर्ट ब्रिगेड कमांडर या उस अधिकारी को सौंपी जाएगी जिसे सेना अधिनियम की धारा 8 के तहत ब्रिगेड कमांडर की कानूनी और अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केवल तभी अधिकृत किया गया है जब चोट गंभीर या मध्यम रूप से गंभीर हो या चोट के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी आयोजित की गई हो।ब्रिगेड कमांडर या वह अधिकारी जिसे सेना अधिनियम की धारा 8 के तहत ब्रिगेड कमांडर की कानूनी और अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है, वह अपने निर्णय के रूप में दर्ज करेगा कि क्या चोट सैन्य सेवा के कारण लगी थी या नहीं, और क्या यह क्षेत्र सेवा में हुई थी।अन्य सभी मामलों में सी. ओ. अपनी राय दर्ज करेगा।”

एफ.

जी.

22. रक्षा सेवा विनियमों के पैरा 520 के संदर्भ में, I.A.F.Y.-2006 पर एक प्रमाण पत्र को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा कमांडिंग अधिकारी को अग्रेषित किया जाना आवश्यक है। सी. ओ. आई. को चोट (खंड सी) की परिस्थितियों की जांच करने के लिए इकट्ठा किया जाता है।कमांडिंग ऑफिसर को अपनी राय दर्ज करनी होती है कि क्या वह घायल हुआ है

एच.

व्यक्ति ड्यूटी पर या बाहर था जिसमें यह भी शामिल था कि क्या वह दोषी था।इसके बाद कार्यवाही को ब्रिगेड कमांडर या अधिनियम की धारा 8 के तहत अधिकृत अधिकारी के पास भेजा जाता है ताकि कारणों को दर्ज किया जा सके कि क्या विकलांगता या मृत्यु सैन्य सेवा के कारण हुई थी और क्या यह क्षेत्र सेवा में हुई थी।कमांडिंग ऑफिसर ने बताया है कि चोट सैन्य सेवा के कारण नहीं लगी है, लेकिन वर्तमान अपील की सुनवाई के समय अदालत के समक्ष प्रस्तुत I.A.F.Y.-2006 से पता चलता है कि ब्रिगेड कमांडर ने समर्थन किया है कि चोट सैन्य सेवा के कारण लगी है।हम पाते हैं कि ब्रिगेड कमांडर के पास इस निष्कर्ष को वापस करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि अक्षमता सैन्य सेवा के कारण थी, जबकि गवाहों के साक्ष्य और कमांडिंग ऑफिसर द्वारा दिया गया निष्कर्ष यह है कि इस आदेश के पहले भाग में पुनः प्रस्तुत कॉलम 3 (सी) के अनुसार दुर्घटना के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।चूँकि दुर्घटना तब हुई है जब प्रत्यर्थी घरेलू सामान खरीद रहा था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि चोट और सैन्य सेवा के बीच कोई कारण संबंध है। हालाँकि, चोट के मामलों का श्रेय निर्धारण रोग के मामलों से अलग है, लेकिन हम श्री सहगल द्वारा उठाए गए इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि चोट के मामलों में, सी. ओ. आई. का निष्कर्ष अंतिम है।इसलिए, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि सभी स्थितियों में ब्रिगेड कमांडर की राय लगी चोट के संबंध में अंतिम होगी।हमने प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में कहा है कि चिकित्सा बोर्ड की राय 1982 के नियम 17 और चिकित्सा विनियमों के विनियम 423 (डी) के संदर्भ में अंतिम है।

बी.

सी.

डी.

ई.

23. सी. ओ. आई. द्वारा अनुसंधान का उद्देश्य चोटों की प्रकृति की अनुसंधान करना है कि क्या ऐसी चोटें ड्यूटी पर या बाहर लगी थीं।हालाँकि, पैरा 520 का प्रभाव यह नहीं है कि ब्रिगेड कमांडर की राय अंतिम है जिसके आधार पर विकलांगता पेंशन का अनुदान निर्भर है। अक्षमता के प्रतिशत के साथ-साथ सैन्य सेवा द्वारा अक्षमता को जिम्मेदार ठहराया जाता है या बढ़ाया जाता है, इसका मूल्यांकन चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।सी. ओ. आई. का उद्देश्य सशस्त्र बलों के कर्मियों के आचरण की जांच करना है, जबकि चिकित्सा बोर्ड सैन्य सेवाओं के साथ चोट के कारण संबंध और विकलांगता की सीमा की भी जांच करता है।इस

प्रकार, सी. ओ. आई. और चिकित्सा बोर्ड की राय दोनों के प्राप्त करने के लिए अलग-अलग उद्देश्य और उद्देश्य हैं।

एफ.

जी.

24. विधियों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, अब हम पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों का उल्लेख करते हैं।

एच.

147

भारत सरकार और ओ. आर. एस. v.धर्मबीर सिंह [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

ए.

25. मदन सिंह शेखावत**,** पेंशन मंजूरी प्राधिकरण**,** पी**.** सी**.** डी**.** ए**. (**पी**),** इलाहाबाद और अन्य मामलों में निर्णय।एम**.** एल**.** जॉर्ज**,** एक्स**.** एस**.** जी**.** टी**. 10,** नंद किशोर मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य। **11** और

भारत संघ और ए. एन. आर. वी.सुरेंद्र पांडे 12, वे मामले हैं जहाँ सशस्त्र बलों के कर्मियों को छुट्टी से लौटने या जाने के दौरान चोटें आई हैं।विनियमन 423 (ए) के साथ पठित 1982 के नियमों के नियम 12 नोट 2 (डी) के संदर्भ में, ड्यूटी से लौटने या जाने के दौरान किसी भी चोट या मृत्यु का सैन्य सेवा के साथ एक कारण संबंध है और इस प्रकार, ऐसी चोट या मृत्यु को सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार या गंभीर माना जाता है।

बी.

26. खुशबाश सिंह मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले ने एक नई अभिव्यक्ति 'असैन्य गतिविधि' तैयार की है।चूंकि अधिनियम के तहत बनाए गए नियम और विनियम केवल तभी विकलांगता पेंशन प्रदान करते हैं जब सैन्य सेवा के साथ चोटों का कारण संबंध हो, इस प्रकार एक सकारात्मक निष्कर्ष की आवश्यकता होती है।'असैन्य गतिविधि' नियमों या विनियमों में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति नहीं है और यह नकारात्मक प्रमाण पर आधारित है।असैन्य गतिविधि क्या है, यह अस्पष्ट, अनिश्चित है और अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है।इसलिए, हम पाते हैं कि अपीलार्थीगण के नीतिगत निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम, नियमों और निर्देशों के प्रावधानों के संदर्भ में, विकलांगता पेंशन केवल तभी स्वीकार्य है जब सैन्य सेवा के कारण चोट लगी हो या बढ़ गई हो, न कि कोई ऐसी गतिविधि जो असैन्य गतिविधि हो।

सी.

डी.

ई.

27. श्री सहगल ने दिल्ली की खंडपीठ के फैसले पर भरोसा किया है।

उच्च न्यायालय ने वर्दीप सिंह और अन्र बनामभारत संघ और अन्य। **13.**

एक मामला जहाँ एक कप्तान ने नई दिल्ली के उपहार सिनेमा में एक दुखद आग की घटना में 150-160 की जान बचाई।उच्च न्यायालय ने मृतक मेजर के परिवार को विकलांगता पेंशन देना उचित माना है।उक्त निर्णय उस मामले के विशिष्ट तथ्यों में है।

एफ.

28. हालाँकि, बरकत मसीह में डिवीजन बेंच के फैसले पर श्री सहगल की निर्भरता मान्य नहीं है।हम पाते हैं कि निर्णय इस हद तक सही है कि सशस्त्र बलों के कर्मी भी छुट्टी पर होने पर ड्यूटी पर होते हैं।हालांकि, बाद के सवाल, कि क्या किसी कर्मी को लगी चोट या मौत का सैन्य सेवा से कोई कारण संबंध है, की पूर्ण पीठ को संदर्भित करने के अलावा जांच नहीं की गई थी

जी.

10 (2015) 15 एससीसी 319 11 जेटी 2013 (10) एससी 466 12 (2015) 13 एससीसी 625 13 2004 (3) एसएलआर 500

एच.

उस न्यायालय के निर्णय में, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल असैन्य सेवा गतिविधि को सैन्य सेवा के कारण 'मृत्यु' या 'चोट' या सैन्य सेवा के लिए गंभीर अभिव्यक्ति से बाहर रखा जाएगा।हम पाते हैं कि इस तरह का निष्कर्ष लागू नियमों और विनियमों के अनुसार टिकाऊ नहीं है।29. बरकत मसीह में, सशस्त्र बलों का ऐसा व्यक्ति स्कूटर पर सवार था जिसे छावनी क्षेत्र में सेना के ट्रक ने टक्कर मार दी थी।सेना के ट्रक के साथ इस तरह की दुर्घटना का सैन्य सेवा से कोई संबंध नहीं है क्योंकि मृतक आकस्मिक अवकाश पर था।यहाँ तक कि एक नागरिक भी छावनी क्षेत्र के भीतर या बाहर सेना के ट्रक के साथ दुर्घटना का शिकार हो सकता है।इस तरह की दुर्घटना का घायल या मृतक की सैन्य सेवा से कोई कारण संबंध नहीं है।इसलिए, खुशबाश सिंह में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय और बरकत मसीह में उस न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय अच्छा कानून नहीं है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि बरकत मसीह के आदेश में विशेष अनुमति याचिका खारिज कर

दी गई थी, लेकिन इसे देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था, इसलिए, खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड में इस अदालत के फैसले को देखते हुए और

बी.

सी.

ओआरएस**.** वी**.**श्री महादेश्वर सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड**,**

डी.

14. यह उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का इस न्यायालय के आदेश के साथ विलय नहीं है।

30. प्रत्यर्थी द्वारा निर्दिष्ट एक अन्य आदेश लांस दफेदार जोगिंदर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य है। **15.**उस मामले में**,** इस न्यायालय ने विकलांगता पेंशन प्रदान की जब कोई नियम या विनियम प्रस्तुत नहीं किए गए थे कि अपीलार्थी विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं था।

ई.

31. भारत संघ और अन्य में निर्णय **v.**केसर सिंह **16,** भारत संघ और अन्र बनामबलजीत सिंह **17,** भारत संघ और अन्य बनामधीर सिंह चीन**,** कर्नल **(**सेवानिवृत्त**) 18** और रक्षा लेखा नियंत्रक **(**पेंशन**)** और अन्य।एस**.** बालचंद्रन नायर **19** मामले हैं।

एफ.

किसी बीमारी के कारण विकलांगता से उत्पन्न होना, जिसे चिकित्सा बोर्ड की राय में सर्वोपरि कहा गया था।इस तरह के निर्णय चोटों के मामलों में लागू नहीं होते हैं।

32. सचिव, रक्षा मंत्रालय और अन्य बनामअजीत सिंह 20,

कर्मी को बिजली के झटके के कारण अक्षमता का सामना करना पड़ा था

जी.

14 (2019) 4 एससीसी 376

15 1995 पूरक (3) एस. सी. सी. 232 16 (2007) 12 एस. सी. सी. 675 17 (1996) 11 एस. सी. सी. 325 18 (2003) 2 एस. सी. सी. 382 19 (2005) 13 एस. सी. सी. 128 20 (2009) 7 एस. सी. सी. 328 ए

एच.

घर, जब छुट्टी पर हों।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस तरह की अक्षमता सैन्य सेवा के कारण या उससे बढ़ती नहीं है।

33. सुखवंत सिंह बनाम भारत संघ और अन्य। **21,** सशस्त्र

एक स्कूटर दुर्घटना में सेना के कर्मियों को चोट लगी, जिससे वे आगे किसी भी सैन्य सेवा के लिए अनुपयुक्त हो गए।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भारत संघ में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए चोटों और सेना में सेवाओं के बीच कोई कारण संबंध नहीं था।

बी.

ओआरएस**.** वी**.**जुझार सिंह **22.**

34. विजय कुमार में वह व्यक्ति अपनी बहन के घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था।बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण वह गलती से अंधेरे के कारण फिसल गया।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि लगी चोटें आकस्मिक प्रकृति की थीं और इसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।इस प्रकार, अक्षमता पेंशन देने वाले न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार कर दिया गया।35. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट एक अन्य निर्णय रेणु देवी हैं।यह सड़क दुर्घटना में आकस्मिक अवकाश के दौरान सशस्त्र बलों के कर्मियों की मृत्यु के कारण विशेष पारिवारिक पेंशन का मामला है।निर्धारित सिद्धांत उन निर्णयों के अनुरूप हैं जहां सैन्य सेवा के साथ चोट का कारण संबंध नहीं पाया गया था और इसलिए, विकलांगता पेंशन नहीं दी जा सकती है।

सी.

डी.

36. हम पाते हैं कि निम्नलिखित मार्गदर्शक कारकों का सारांश

न्यायाधिकरण ने जगतर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य **23** मामले में मंजूरी दी

ई.

सुखवंत सिंह और विजय कुमार में किसी भी परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता नहीं है और विकलांगता पेंशन के दावे को तदनुसार निपटाया जाना आवश्यक हैः-

“(क) किसी व्यक्ति के 'ड्यूटी' पर या अन्यथा, पोस्टिंग के स्थान पर या छुट्टी पर होने का मात्र तथ्य, विकलांगता/मृत्यु की विशेषता तय करने के लिए एकमात्र मानदंड नहीं है।इस तरह की अक्षमता/मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाली घटना और सैन्य सेवा के बीच एक प्रासंगिक और उचित कारण संबंध होना चाहिए, चाहे वह कितना भी दूर हो।यह शर्त तब भी लागू होती है जब कोई व्यक्ति अपनी इकाई में तैनात और मौजूद होता है।यह उसी तरह लागू

होना चाहिए जब वह छुट्टी पर हो; दोनों को 'कर्तव्य' माना जाता है।(ख) यदि सशस्त्र बल के सदस्य को लगी चोट सैन्य सेवा के क्षेत्र के लिए विदेशी कार्य का परिणाम है या नहीं

एफ.

जी.

21 (2012) 12 एससीसी 228

22 (2011) 7 एससीसी 735

एच.

23 2010 की टी. ए. सं. 61 का निर्णय 2 नवंबर, 2010 को न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया।

जैसा कि अधिकार नियम 1982 के नियम 12 द्वारा अनुध्यात अर्थ में समझा गया है, कर्तव्य पर उनके होने से जुड़ा हुआ है, यह विधायी इरादा नहीं होगा या न ही हमारे दिमाग में इस कथन को सामान्य बनाने के लिए अनुमेय दृष्टिकोण होगा कि छुट्टी की ऐसी अवधि के दौरान हुई प्रत्येक चोट अनिवार्य रूप से जिम्मेदार होगी।(ग) अधिनियम, चूक या कमीशन जिसके परिणामस्वरूप बल के सदस्य को चोट लगती है और परिणामस्वरूप अक्षमता या मृत्यु किसी न किसी तरह से सैन्य सेवा से संबंधित होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में, अधिनियम को सैन्य सेवा से आवश्यकता के रूप में प्रवाहित होना चाहिए।

बी.

(घ) घर पर कुछ कार्य करने वाला व्यक्ति, जो दूर से भी बल के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों और कार्यों के दायरे में नहीं आता है, और न ही सैन्य सेवा के कार्यों से दूर से जुड़ा हुआ है, को सैन्य सेवा के कारण चोट या विकलांगता नहीं कहा जा सकता है।सशस्त्र बल के किसी सदस्य को हुई दुर्घटना या चोट का सैन्य सेवा के साथ कुछ आकस्मिक संबंध होना चाहिए और कम से कम बल के सदस्य की ऐसी गतिविधि से उत्पन्न होना चाहिए जैसा कि उससे बल के सदस्य के रूप में अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में बनाए रखने या करने की उम्मीद की जाती है।

सी.

डी.

(ई) सेना सेवा के खतरों को बल के सदस्य की ओर से गैरकानूनी और पूरी तरह से असंबद्ध कार्यों या चूक की सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, भले ही वह छुट्टी पर हो।सैन्य सेवा से जुड़े, बढ़े हुए या जिम्मेदार ठहराए जाने वाले मामलों और इस तरह की सेवा के लिए पूरी तरह से विदेशी मामले के बीच अंतर की एक महीन रेखा खींची जानी चाहिए।जो एक पूरी तरह से निजी अधिनियम के क्षेत्र में आता है, उसे इन प्रावधानों के तहत राहत का दावा करने के लिए वैध आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है।सबसे अच्छा, बल का सदस्य विकलांगता पेंशन का दावा कर सकता है यदि वह आकस्मिक अवकाश पर रहते हुए चोट से विकलांग हो जाता है, भले ही यह बल के सदस्य की ओर से किसी लापरवाही या कदाचार से उत्पन्न हो, अब तक इसका बल की प्रकृति से कुछ संबंध और संबंध है।सेवा के लिए कम से कम दूरस्थ विशेषता नियम 173 के तहत दावे की पूर्व शर्त होगी।बल के सदस्य की ओर से चूक और कमीशन के कार्य को विवेक, तर्कसंगतता और व्यवहार के अपेक्षित मानकों की कसौटी को पूरा करना चाहिए।(च) अक्षमता एक दुर्घटना का परिणाम नहीं होनी चाहिए जिसे आधुनिक ए में मानव अस्तित्व के लिए सामान्य जोखिम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

151

भारत सरकार और ओ. आर. एस. v.धर्मबीर सिंह [हेमंत गुप्ता, जे।]

भारत में स्थितियाँ, जब तक कि इस तरह के जोखिम को प्रकृति, शर्तों, दायित्वों या सैन्य सेवा की घटनाओं द्वारा प्रकार या डिग्री में नहीं बढ़ाया जाता है।”37. उपरोक्त चर्चा और 2010 की टी. ए. संख्या 61 में न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को देखते हुए, हम पाते हैं कि न्यायाधिकरण का आदेश टिकाऊ नहीं है।नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है। न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रत्यर्थी द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।

बी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.